

मुकदमों का विवरण

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम.

नरेन सेठ और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं. 2022 की 2085) 12 सितंबर, 2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: एन. सी. एल. ए. टी. ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के नेतृत्व में दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसके तहत उसने आवेदन को स्वीकार किया।⁷, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 विलंब को माफ करने के बाद, कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ प्रत्यर्थी No.2-Secured लेनदार के नेतृत्व में। प्रत्यर्थी सं. 2 क्या एस के लाभ का हकदार है।¹⁸, सीमा अधिनियम और क्या एस।¹⁵ यह भी लागू होगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 -धारा 7-सीमा अधिनियम, 1963-एस. एस.18, 5 - प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आवेदन यू/एस का नेतृत्व किया।⁷ आई. डी. 2 पर निगमित देनदार के खिलाफ 1392 दिनों की देरी को माफ करने के आवेदन के साथ-साथ बाद में, इसने कहा कि आई. डी. 1 समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निगमित देनदार के तुलन पत्र में स्वीकृति को देखते हुए देरी केवल 662 दिनों की थी-अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी याचिकाओं में स्वीकार किया।⁷ याचिका में कहा गया है कि 1392 दिनों की देरी हुई है-इसके अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार को बैलेंस शीट के अनुसार 28.06.2013, से 31.03.2013 पर NPA घोषित किया गया था और तीन साल की सीमा 31.03.2016 पर समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार, आवेदन यू/एस। 7 2020 में एफ. आई. के नेतृत्व को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था-क्या 31.03.2015 पर समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तुलनपत्र में स्वीकार किया गया ऋण और तीन ओ. टी. एस. प्रस्ताव प्रत्येक संबंधित तिथि से तीन साल की सीमा का एक नया जीवन देंगे:

आयोजित किया गया: प्रत्यर्थी संख्या 2 ने निगमित ऋणदाता को एन. पी. ए. घोषित किया- इसलिए, सीमा अवधि एन. पी. ए. की घोषणा से पहले के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से तीन साल होगी, जो कि 31.03.2013 होगी, और 31.03.2016 तक जाएगी-यदि आगे 582 नहीं थे

स्वीकृति से संबंधित मध्यवर्ती परिस्थितियाँ या घटनाक्रम, याचिका यू/एस।7 जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है, सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा-हालाँकि, निगमित ऋणदाता द्वारा एन. पी. ए. की घोषणा के बाद और उक्त तिथि से तीन साल की समाप्ति के भीतर की गई चार प्रमुख स्वीकृति हैं-निगमित ऋणदाता ने वित्तीय वर्ष के लिए अपनी तुलन-पत्र में उक्त वर्ष के लिए अपनी तुलन-पत्र में ऋण को स्वीकार किया-ऋण को स्वीकार करने वाली तुलन-पत्र भी सीमा की गणना करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज है-तुलन-पत्र में ऋण की यह स्वीकृति ऋण के लाभ के लिए एक वैध स्वीकृति है।18, सीमा अधिनियम-याचिका यू/एस।7 प्रथम, द्वितीय और तृतीय एकमुश्त निपटान (ओ. टी. एस.) प्रस्तावों की तारीख से तीन साल के भीतर नेतृत्व किया गया था-तुलनपत्र में ऋण की स्वीकृति की तारीख लेते हुए और तीन ओ. टी. एस. प्रस्ताव विधि के अंतर्गत सीमा के भीतर थे या स्वीकृति के कारण विस्तारित सीमा के भीतर थे-एस. एस. के लाभ के हकदार प्रतिवादी संख्या 2 का आवेदन।5 और 18, सीमा अधिनियम और इसलिए, समय के भीतर था-अपील में कोई योग्यता नहीं थी।[पारस 13-15,27,28]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, **2016**-सीमा अधिनियम, **1963** -

धारा **14**:

आयोजित किया गया:सीमा अधिनियम की धारा 14 का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि डी. आर. टी. के समक्ष एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अधिकार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है-प्रतिवादी संख्या 2, एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत शक्ति का आह्वान करने का अधिकार होगा और उक्त कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है-इसलिए, कोई लाभ नहीं होगा।14 प्रत्यर्थी संख्या 2-वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के लिए स्वीकार्य होगा।[पैरा 12]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी और एक अन्य (2021) 10 एससीसी 330; कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम क्यू प्रिसिजन पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2022) 9 एससीसी 364; एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम बिशाल जायसवाल और एक अन्य (2021) 6 एससीसी 366-पर भरोसा किया।जिग्नेश शाह और अन्न बनामभारत संघ और ए. एन. आर. 2019 (10) एससीसी 750:[2019] 12 एस. सी. आर. 678; मेसर्स इन्वेंट एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड बनाम मेसर्स गिरनार फाइबर लिमिटेड 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 808; इन्वेंट एसेट्स 583

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर.

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण प्राइवेट लिमिटेड बनाम ज़ायलॉन इलेक्ट्रोटेक्निक

2020 की निजी सीमित सिविल अपील संख्या 3783; वाशदेव आर. भोजवानी

बनाम अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और एक अन्य 2019 (9) एससीसी 158:

[2019] 12 एससीआर 75; बी. के. शैक्षिक सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग

गुप्ता एंड एसोसिएट्स 2019 (11) एससीसी 633:[2018] 12 एस. सी. आर. 794; बाबुलाल

वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड & ए. एन. आर.

2020 (15) एस. सी. सी. 1; ओम प्रकाश वर्मा बनाम अमित जैन और अन्ना सीए (एटी)

(दिवाला) एन. सी. एल. टी., (प्रधान पीठ, दिल्ली) द्वारा पारित 2020 का सं. 827;

राजेंद्र नरोत्तमदास सेठ और एक अन्य बनाम चंद्र प्रकाश जैन और एक अन्य (2022) 5

एससीसी 600; गोपाल सरदार बनाम करुणा सरदार (2004) 4 एससीसी 252:[2004]

2 एस. सी. आर. 826; सेरीश माजी बनाम निशित कुमार दोलुई 1999 एस. सी. सी.

ऑनलाइन कैल 58; शेष नाथ सिंह और एक अन्य बनाम बैद्यवती श्योराफुली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और एक अन्य (2021) 7 एस. सी. सी. 313-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील No.2085/2021 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.930 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उज्ज्वल बनर्जी, स्वप्निल गुप्ता, अबाश खुराना, अंजलि सिंह, मृदुल सूरी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., जयदीप गुप्ता, सीनियर एड., सुश्री मेघा कर्णवाल, सूर्य प्रकाश, देवेश दुबे, सुश्री नेहा शर्मा, दीप्ति वर्मा, राशि रामपाल, के. मोदी, विकास मेहता, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 62 के अंतर्गत इस अपील का नेतृत्व निर्णय और आदेश की शुद्धता पर जोर देते हुए किया गया है।

1 संक्षेप में, "आईबीसी"

[2023] 14 एस सी आर।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण 2 दिनांक 04.01.2022, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी के नेतृत्व में 2021 की कंपनी अपील (AT) (दिवाला) No.930 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित 22.09.2021 के निर्णय और आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसमें देरी को माफ करने के बाद IBC की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार किया गया था।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

2.1. अपीलार्थी ने सोलारिस "सी" नामक भवन में 10 वीं मंजिल तक के परिसर के लिए यूनिवर्सल प्रिमाइसेस एंड टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड 3 के साथ छुट्टी और लाइसेंस समझौता किया। रुपये की प्रतिभूति जमा। 87,56,24,381/- अपीलार्थी द्वारा 23.06.2007 से 03.11.2008 की अवधि के बीच प्रस्तुत किया गया था। यूनिवर्सल प्रिमाइसेस ने 06.11.2008 पर सात फ्लर के लिए अपीलार्थी के पक्ष में बिना कब्जे के एक साधारण बंधक निष्पादित किया।

2.2. 02.05.2011 पर, यूनिवर्सल प्रिमाइसेस ने राजपूत रिटेल लिमिटेड 4 के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। बिक्री विलेख 5123.90 वर्ग मीटर की भूमि के लिए था। मीटर जिसमें उपरोक्त इमारत के नीचे की भूमि शामिल थी-सोलारिस "सी" भी। अपीलार्थी के पक्ष में छुट्टी और लाइसेंस समझौतों को विधिवत स्वीकार किया गया, आरक्षित किया गया और बिक्री विलेख के अंतर्गत संरक्षित किया गया।

2.3. आर. आर. एल. ने भारतीय स्टेट बैंक 5 (प्रतिवादी संख्या 2) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाते हुए उक्त ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए इमारत-सोलारिस "सी" के नीचे की भूमि के संबंध में 29.06.2011 पर एक न्यायसंगत बंधक बनाया।

2.4. 2012 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत यूनिवर्सल परिसर का आरआरएल के साथ विलय कर दिया गया था और इसका नाम बदलकर श्रीम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 6 कर दिया गया था, जो कि कॉर्पोरेट देनदार है। जून, 2012 और 17.10.2013 के बीच, अपीलार्थी ने छुट्टी और लाइसेंस समझौते के अंतर्गत प्रतिभूति जमा की वापसी के लिए नोटिस जारी किए। हालाँकि, चूंकि उक्त राशि का कभी भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी ने आठ संक्षिप्त मुकदमों का नेतृत्व किया।

2 एनसीएलएटी

3 द यूनिवर्सल प्रिमाइसेस 4 आरआरएल

5 संक्षेप में, "भारतीय स्टेट बैंक" 6 संक्षेप में, "एससीएल"

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे.] 586

14.12.2012 से 24.12.2013 तक की अवधि के दौरान ब्याज के साथ प्रतिभूति जमा की वापसी के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ।

2.5. इस बीच, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 28.06.2013 के संचार के माध्यम से 31.03.2013 पर डिफॉल्ट को देखते हुए कॉर्पोरेट ऋणदाता को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 7 घोषित किया।

2.6. बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने 27.07.2015 पर सभी संक्षिप्त मुकदमों में एक सामान्य सशर्त आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिभूति जमा जमा करने के अधीन कॉर्पोरेट ऋणदाता को बचाव करने की अनुमति दी गई। बाद में, मुकदमों को 02.12.2015 और 15.12.2015 पर तय किया गया।

2.7. अपीलार्थी के अनुसार, निगमित ऋणदाता को 2016 से एक निष्क्रिय कंपनी के रूप में दिखाया गया था और पिछली वार्षिक आम बैठक 8 की तारीख 26.09.2016 दिखाई गई थी।

2.8. अपीलार्थी ने अपने बकाया की वसूली के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था जिसमें आपत्तियों का नेतृत्व प्रतिवादी संख्या 2 ने किया था। हालाँकि, उन्हें 18.03.2019 पर अस्वीकार कर दिया गया और अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री की घोषणा का आदेश दिया गया।

2.9. इस बीच, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने ग्राउंड फ्लोर से अटैचमेंट उठाने के लिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग आवेदन भेजे और सोलारिस "सी" में दूसरे से पांचवें फ्लोर तक, जिसे अक्टूबर 2016 में वापस ले लिया गया था।

2.10. आई. डी. 1 पर, प्रत्यर्थी नंबर 2 एफ. आई. ने सोलारिस "सी" के 11 फ्लोरों पर कुर्की आदेशों को हटाने और सात फ्लोरों के लिए बिक्री प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए फिर से नए अंतरिम आवेदनों का नेतृत्व किया।

2.11. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी को सूचित किए बिना या उक्त कार्यवाही में एक पक्ष बनाए बिना 22.01.2020 पर कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ धारा 7 IBC के अंतर्गत एक कंपनी याचिका No.1382/MB/2021 का नेतृत्व किया। 1392 दिनों की देरी को माफ करने की याचिका के साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन भी दायर किया गया था। बाद में, प्रत्यर्थी सं. 2 एफ. आई. ने एक अतिरिक्त हलफनामे का नेतृत्व करते हुए कहा कि यह देरी केवल 662 दिनों की थी, क्योंकि आई. डी. 1 > समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निगमित ऋणदाता की तुलनपत्र में स्वीकृति दी गई थी।

7 संक्षेप में, "एन. पी. ए". 8 ए. जी. एम.

2.12.22.09.2021 पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 662 दिनों की देरी को माफ कर दिया और अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) के प्रवेश और नियुक्ति का आदेश पारित किया।

2.13.05.10.2021 पर आई. आर. पी. ने समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आई. बी. सी. के अंतर्गत आवश्यक सूचना प्रकाशित की।

2.14.20.10.2021 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी संख्या 2 एफ. आई. के वकील ने न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत अपनी याचिका को स्वीकार करते हुए दिनांकित 22.09.2021 आदेश की एक प्रति का नेतृत्व किया।

2.15.अपीलार्थी ने दिनांक 22.09.2021 के प्रवेश के आदेश से व्यथित होकर, आई. बी. सी. की धारा 61 के अंतर्गत एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील की, जिसे कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2021 का No.930 दिनांक 04.01.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा, NCLAT ने उक्त कंपनी की अपील को खारिज कर दिया, जिससे वर्तमान दीवानी अपील को जन्म मिला।

3. इस न्यायालय ने अपील पर विचार करते हुए 01.04.2022 पर नोटिस जारी किए और यथास्थिति का आदेश पारित किया। दलीलों का आदान-प्रदान किया गया है और हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

4. संबंधित प्रस्तुतियों के साथ आगे बढ़ने से पहले, कुछ तिथियों का उल्लेख करने की आवश्यकता है जिनका उल्लेख अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया था, हालाँकि, जिनका खुलासा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया था।

4.1 उन दिनों की संख्या में परिवर्तन, जिनके लिए उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा 1392 से 662 दिनों की देरी की गई थी, 31.03.2015 समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए तुलनपत्र पर आधारित था, जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 के ऋण को निगमित ऋणदाता की तुलनपत्र में स्वीकार किया गया था।

4.2. इस न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत दो एकमुश्त निपटान 9 प्रस्तावों का उल्लेख करके देरी को और उचित ठहराने के लिए कुछ दस्तावेज रखे हैं, जिन पर विधिवत विचार किया गया था। ओ. टी. एस. का पहला प्रस्ताव दिनांकित 16.03.2017 है और दूसरा प्रस्ताव दिनांकित 01.01.2018 है। दोनों प्रस्तावों की प्रतियां इस प्रकार प्रस्तुत की गई हैं -

2023 के आई. ए. No.26982 के साथ अनुलग्नक-ए 1 और ए 2 में अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने की अनुमति मांगी गई है।

4.3.प्रत्यर्थी संख्या 2 इन दो ओ. टी. एस. प्रस्तावों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष के समापन के लिए बैलेंस शीट पर भी भरोसा करता है ताकि यह अनुरोध किया जा सके कि सीमा इन तीन तिथियों में से प्रत्येक से चलना शुरू हो जाएगी और प्रत्येक तिथि के अनुरूप तीन साल होगी।

4.4.संक्षेप में, हालांकि एन. पी. ए. को आई. डी. 1 पर घोषित किया गया था, लेकिन उसके तीन वर्षों के भीतर, निगमित देनदार ने आई. डी. 2 को समाप्त करने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी तुलनपत्र में ऋण को स्वीकार कर लिया, जो एन. पी. ए. की तारीख से तीन साल के भीतर था।

4.5.फिर से, तीन साल की समाप्ति से पहले, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 16.03.2017 पर तीन साल के भीतर एक ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और फिर उक्त तिथि से तीन साल की समाप्ति से पहले, 01.01.2018 पर एक नया ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऋण स्वीकार करने के लिए ओ. टी. एस. प्रस्ताव की अंतिम तिथि 01.01.2018 लेते हुए, दिवाला कार्यवाही शुरू करने की सीमा 31.12.2020 तक होगी। धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत याचिका 22.01.2020 पर दायर की गई थी, जो समय के भीतर थी।

5. श्री संजीव सेन, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों का सारांश इस प्रकार है:

क) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी धारा 7 याचिका में स्वीकार किया कि 1392 दिनों की देरी हुई थी। इसके अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार को बैलेंस शीट के अनुसार 28.06.2013 पर NPA घोषित किया गया था, जिसका प्रभाव 31.03.2013 से निकला था। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन दायर किए गए थे। सीमा की अवधि, जो तीन साल की है, इस प्रकार 31.03.2016 पर समाप्त हो जाएगी।

ख) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार को 2016 से एक निष्क्रिय कंपनी के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एजीएम की अंतिम तिथि 26.09.2016 थी।

ग) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तुलनपत्र पर भरोसा किया, जिसमें कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा तारीख को स्वीकार किया गया था और इस तरह सीमा तुलनपत्र की उक्त तारीख से तीन साल तक चलती है, जो

/

यह 31.03.2018 तक विस्तारित होगा, और यह इस आधार पर था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया था कि वास्तविक देरी 1392 दिन नहीं बल्कि 662 दिन थी।

घ) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने निगमित ऋणदाता को एन. पी. ए. घोषित करने के अलावा, उक्त कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए आवेदन दायर करके बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष भाग लिया था, जहां वह विफल हो गया था। इसके बाद 22.01.2020 पर धारा 7 याचिका दायर की गई।

ड) एन. सी. एल. ए. टी. से पहले, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने ऋण की स्वीकृति के रूप में 16.02.2019 दिनांकित ओ. टी. एस. प्रस्ताव का उल्लेख करके अपने मामले में और सुधार किया। हालांकि, इस पर इस आधार पर आपत्ति जताई गई कि भले ही यह माना जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार ने समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार ऋण स्वीकार किया है, उक्त तिथि से सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद 31.03.2018, दिनांकित 16.05.2019 का ओटीएस प्रस्ताव सीमा की अवधि से परे होगा और इस तरह, प्रतिवादी संख्या 2 को कोई सहायता नहीं होगी। च) प्रत्यर्थी सं. 2 ने इस न्यायालय के समक्ष ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जिन्हें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 10 या एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो दिनांक 16.03.2017 और 01.01.2018 के दो अन्य ओ. टी. एस. प्रस्तावों से संबंधित थे। इन दस्तावेजों को पहली बार इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से पेश किया गया था। तथापि, अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और न ही सिविल अपील में इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया जाना चाहिए।

छ) प्रत्यर्थी संख्या 2, समय-समय पर, अपने मामले में सुधार कर रहा था, जो विधि के अंतर्गत अनुमेय नहीं है और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उसी की निंदा की जानी चाहिए। ज) अतिरिक्त दस्तावेजों को इतने विलंबित चरण में और निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत किए जाने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है:

10 एनसीएलटी 589

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे.] 590 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

- i. अज्ञात दस्तावेजों की सत्यता; ii. दस्तावेज असंगत हैं;
- iii. निगमित देनदार द्वारा कोई स्पष्ट स्वीकृति नहीं; iv. ऋण की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है।
- v. निगमित ऋणदाता की कोई पहचान पत्र/कंपनी की मुहर नहीं; vi. समर्थन में कोई उचित बोर्ड संकल्प नहीं;

vii. बोर्ड के प्रस्ताव में गलत तरीके से उल्लिखित कॉर्पोरेट ऋणदाता का पता;

viii. निगमित ऋणदाता के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई थी।

ix. ऋण कॉर्पोरेट देनदार द्वारा विवादित है; और

x. ओ. टी. एस. को भारतीय स्टेट बैंक ने कभी भी स्वीकार नहीं किया था।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सेन ने प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों पर भरोसा रखा। (i) सबसे पहले, कि धारा 7 का आवेदन समय-बाधित दावों के लिए बनाए रखने योग्य नहीं था; (ii) दूसरा, सीमा अधिनियम की धारा 14 केवल तभी लागू होती है जब प्रथम मंच के पास कार्यवाही का मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है; और (iii) अंत में, सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए:

आई. जिग्नेश शाह और अन्न बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. **11**,

ii. मेसर्स इन्वेंट एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स गिरनार फाइबर लिमिटेड **12**,

iii. आविष्कार परिसंपत्तियाँ प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण निजी लिमिटेड बनाम ज़ायलॉन इलेक्ट्रोटेक्निक निजी लिमिटेड **13**,

iv. वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य **14**,

11 2019(10) एससीसी 750

12 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 808

13 2020 की सिविल अपील संख्या 3783 14 2019 (9) एस. सी. सी. 158

बनाम बी. के एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स **15**,

(vi) बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. **16**,

vii. ओम प्रकाश वर्मा बनाम अमित जैन और अन्न। **17**, VIII. दिवाला विधि रिपोर्ट मार्च **2018**,

ix. राजेंद्र नरोत्तमदास सेठ और एक अन्य बनाम चंद्र प्रकाश जैन और अन्य **18**,

x. गोपाल सरदार बनाम करुणा सरदार **19** और xi. सेरीश माजी बनाम निशित कुमार दोलुई **20**.

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित तिथियों की सूची के अलावा अपनी दलीलों के समर्थन में तिथियों की छोटी सूची का उल्लेख किया। इनमें से कुछ तिथियां उल्लिखित तिथियों की सूची के अतिरिक्त हैं और इस क्रम के पहले भाग में पहले से ही शामिल हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जिन तारीखों पर भरोसा किया गया है, उनका संक्षिप्त संदर्भ इस प्रकार है:

क) निगमित ऋणदाता को 28.06.02013 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 21 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना 02.07.2013 पर जारी की गई थी।

ग) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत नोटिस 23.11.2013 पर जारी किया गया था।

15 2019(11) एस. सी. सी. 633

16 2020(15) एससीसी 1

17 एन. सी. एल. टी., (प्रधान पीठ, दिल्ली) द्वारा पारित 2020 की सी. ए. (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 827 में 18 (2022) 5 एससीसी 600

19 (2004) 4 एस. सी. सी. 252

20 1999 एससीसी ऑनलाइन कैल 58

21 संक्षेप में, "सरफेसी अधिनियम"

591

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे.] 592

घ) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.), मुंबई के समक्ष एक मूल आवेदन का नेतृत्व किया, जिसे 03.06.2014 पर 2014 के मूल आवेदन संख्या 726 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

ड) निगमित देनदार ने 31.03.2015 समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए दिनांकित 04.09.2015 बैलेंस शीट में अपने दायित्व को स्वीकार किया। च) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत एक आदेश सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा 09.03.2017 पर पारित किया गया था।

छ) निगमित देनदार ने 16.03.2017 (इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेज) पर एक बार का निपटान स्वीकार किया।

ज) निगमित देनदार ने एक बार फिर अपनी देनदारी स्वीकार की और 01.01.2018 (इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेज) दिनांकित एक नया समझौता/एकमुश्त निपटान प्रस्ताव दिया।

i) निगमित देनदार ने एक नया समझौता/एक बार का निपटान (एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेज) जमा करते समय फिर से अपनी देनदारी स्वीकार की।

जे) गिरवी रखी गई संपत्ति को 12.12.2019 पर और फिर 26.02.2020 पर नीलामी बिक्री के लिए रखा गया था। लेकिन, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

के) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 22.01.2020 पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन के साथ आईबीसी की धारा 7 के अंतर्गत एक आवेदन का नेतृत्व किया।

1) घटनाओं के उपरोक्त क्रम का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी समय प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का अपना अधिकार नहीं खोया। यह एक सुरक्षित लेनदार/वित्तीय लेनदार होने के नाते 500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। धारा 7 याचिका दायर करने के समय 681 करोड़ रुपये की राशि, एक असुरक्षित लेनदार (अपीलार्थी) द्वारा गैर-उपयुक्त नहीं हो सकती है, जिसका दायित्व लगभग है। रु. 30.11.2019 पर 87 करोड़। प्रदान की जाने वाली कुल सुविधाएँ रु. 395 करोड़, और 31.05.2013 पर मूल बकाया राशि रु. 283 करोड़ रु.

एम) सीमा, वास्तव में, कभी समाप्त नहीं हुई, और आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत दायर याचिका समय के भीतर थी। भले ही एन. पी. ए. घोषित करने की तारीख को सीमा की गणना के लिए आधार के रूप में लिया जाए,

/

[2023] 14 एस सी आर।

एन. पी. ए. की उक्त घोषणा के बाद के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार जारी रहा, जो सीमा अधिनियम की धारा 5, 14 और 18 के लाभ के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 का हकदार था।

एन) बार-बार स्वीकार किए जाने पर, न केवल तुलनपत्र में ऋण को वापस किए जाने के माध्यम से, बल्कि कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा एक बार के निपटान के लिए बार-बार प्रस्ताव भी किया जाता है, जिसने सीमा को बढ़ा दिया है, प्रतिवादी संख्या 2 सीमा अधिनियम की धारा 18 के लाभ का हकदार होगा।

ओ) एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने याचिका के समय-बाधित होने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई आपत्ति को सही ढंग से खारिज कर दिया और सी. आई. आर. पी.

शुरू करके आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत याचिका को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। योग्यता से रहित होने के कारण अपील खारिज की जा सकती है।

पी) प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया था:

((i))।कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम क्यू प्रिसिजन पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 22,

((ख))।परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम विशाल जयसवाल और अन्य 23,

(iii)।देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी और अन्य 24, और

((iv))।शेष नाथ सिंह और एक अन्य बनाम बैद्यवती शेओराफुली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य 25।

8. हमने पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के साथ-साथ अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर भी विचार किया है।

22 (2022) 9 एससीसी 364 23 (2021) 6 एससीसी 366 24 (2021) 10 एससीसी 330 25 (2021) 7 एससीसी 313 593

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे.] 594

9. आगे दी गई दलीलों पर विचार करने से पहले, वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा।सीमा अधिनियम की धारा 3 (1) सीमा की निर्धारित अवधि के बाद किए गए किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन को खारिज करने के लिए बाधा पैदा करती है, भले ही सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो।उक्त खंड इस प्रकार है:

“3. बार ऑफ लिमिटेशन।—(1) धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निर्धारित अवधि के बाद किए गए प्रत्येक वाद, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। ”

10. सीमा अधिनियम की धारा 5 कुछ मामलों में निर्धारित अवधि के लिए विस्तार का प्रावधान करती है जहां अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण है या जहां निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं किया जा सका है।धारा 5 इस प्रकार है:

“5. कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार।—कोई अपील या

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के प्रावधानों में से किसी के अंतर्गत आवेदन के अलावा कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा

सकता है यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

स्पष्टीकरण.—यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है। "

11. सीमा अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि जहां किसी पक्ष द्वारा दायित्व की लिखित स्वीकृति की जाती है, जिसके खिलाफ किसी भी अधिकार का दावा किया जाता है, तो उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उक्त खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव।—

(1) जहाँ, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी वाद या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति उस पक्ष द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित की गई है जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपना अधिकार प्राप्त करता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

या देयता, सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(2) जहां पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, उस समय का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधानों के अधीन, इसकी सामग्री का मौखिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) एक पावती पर्याप्त हो सकती है, हालांकि यह संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति को निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ देती है, या यह बताती है कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद लेने का समय अभी तक नहीं आया है या इसके साथ भुगतान करने, देने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, या इसे छोड़ने के दावे के साथ जोड़ा गया है, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया है।

(बी) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या इस ओर से विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित, और

(ग) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन को किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा। "12. वर्तमान मामले में प्रश्न मुख्य रूप से यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 सीमा अधिनियम की धारा 18 के लाभ का हकदार होगा और क्या सीमा अधिनियम की धारा 5 भी लागू होगी। यद्यपि सीमा अधिनियम की धारा 14 का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन हमारी राय में, धारा 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि डी. आर. टी. के समक्ष एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं कहा जा सकता है जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2, एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, निश्चित रूप से एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करने का अधिकार होगा और उक्त कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, धारा 14 के अंतर्गत कोई भी लाभ वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 2 को स्वीकार्य नहीं होगा।

13. सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत उपलब्ध लाभ पर वापस आते हुए, घटनाओं का निम्नलिखित क्रम और उस पर विधि प्रासंगिक होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने 28.06.2013 पर कॉर्पोरेट देनदार को एन. पी. ए. घोषित किया। इसलिए, सीमा अवधि तीन 595 होगी।

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे.] 596

एन. पी. ए. की घोषणा से पहले के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से वर्ष, जो 31.03.2013 होगा, और 31.03.2016 तक चलेगा। यदि स्वीकृति से संबंधित कोई और हस्तक्षेपकारी परिस्थितियाँ या घटनाक्रम नहीं थे, तो अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत याचिका को 2020 में 22.01.2020 से बहुत आगे ले जाया गया है, जो कि 22.01.2020 पर निर्दिष्ट सी है, याचिका को स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा।

14. हालाँकि, निगमित ऋणदाता द्वारा एन. पी. ए. की घोषणा के बाद और उक्त तिथि से तीन साल की समाप्ति के भीतर की गई चार प्रमुख स्वीकृतियाँ हैं, जिनका विवरण पहले ही पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया जा चुका है। हालाँकि, संक्षिप्त रूप से उन्हें फिर से संदर्भित किया जा रहा है।

क) निगमित देनदार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अपनी तुलन-पत्र में, जो 31.03.2015 पर समाप्त हुआ था, उक्त वर्ष के लिए अपनी तुलन-पत्र में ऋण को स्वीकार किया था। तुलनपत्र में ऋण की इस स्वीकृति को सीमा अधिनियम की धारा 18 के लाभ के लिए एक वैध स्वीकृति माना गया है। उपरोक्त तिथि से तीन साल की अवधि 31 मार्च, 2018 तक रहेगी।

ख) बैलेंस शीट में ऋण की स्वीकृति की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर पहला ओ. टी. एस. प्रस्ताव 16 मार्च, 2017 को दिनांकित किया गया है।

ग) दूसरा ओ. टी. एस. प्रस्ताव प्रथम ओ. टी. एस. प्रस्ताव की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर फिर से 1 जनवरी, 2018 का है।घ) तीसरा ओ. टी. एस. प्रस्ताव 16 मई, 2019 को एक बार फिर दूसरे ओ. टी. एस. प्रस्ताव की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर है।

15. धारा 7 के अंतर्गत याचिका पहली, दूसरी और तीसरी ओटीएस प्रस्तावों की तारीख से तीन साल के भीतर 22 जनवरी, 2020 को दायर की गई थी।16. विचार के लिए प्रश्न यह होगा कि क्या वित्तीय वर्ष की तुलनपत्र में स्वीकार किया गया ऋण 31 मार्च, 2015 को समाप्त होगा और क्या तीन ओटीएस प्रस्ताव एक नया जीवन देंगे।

/

[2023] 14 एस सी आर।

प्रत्येक संबंधित तिथि से तीन साल की सीमा।सीमा अधिनियम की धारा 18 वह प्रावधान है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सीमा के इस तरह के विस्तार की मांग के लिए मजबूत निर्भरता रखी गई है।17. सीमा अधिनियम की धारा 18 (1) के एक सादे अध्ययन से यह पता चलता है कि जहां उस पक्ष द्वारा लिखित रूप में किसी दायित्व की कोई स्वीकृति दी गई है, जिसके खिलाफ कोई अधिकार का दावा किया गया है, तो उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब स्वीकृति पर इस तरह से हस्ताक्षर किए गए थे, बशर्ते कि उस संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी स्वीकृति दी जा रही हो।

18. सीमा अधिनियम की धारा 18 (2) वर्तमान मामले में लागू नहीं हो सकती है क्योंकि वर्तमान मामले में सभी पावती की एक तारीख होती है और इसलिए, पावती की तारीख स्थापित करने के लिए किसी भी मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा।

19. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि सभी पावती पहले आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत याचिका के साथ नहीं की गई थी, लेकिन बाद में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के चरण में एक का नेतृत्व किया गया था और ऐसी दो स्वीकृति इस न्यायालय के समक्ष दी गई हैं, क्योंकि उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के इस तर्क में किसी वित्तीय लेनदार को देय राशि की वसूली करने और आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने के अपने अधिकार का दावा करने से वंचित करने के लिए बहुत अधिक बल नहीं हो सकता है।

20. इसके अलावा, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी इस तरह की स्वीकृति की शुद्धता और वास्तविकता के बारे में संदेह और आशंका व्यक्त की, लेकिन हम इस तरह के विवाद को स्वीकार करने से डरते हैं क्योंकि इसकी शुद्धता के बारे में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा

आपत्ति की जा सकती है, न कि किसी असुरक्षित लेनदार द्वारा। यदि निगमित देनदार द्वारा इस तरह की याचिका उठाई जाती है तो इस पर विचार करना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का काम होगा।²¹ देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है जहां तथ्य समान थे। धारा 18 के लाभ का दावा करने वाली पावती से संबंधित दस्तावेजों को अपीलीय स्तर पर पेश किया गया था, और ऐसे दस्तावेज बैलेंस शीट और सेटलमेंट ऑफर्स थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसे अपीलीय स्तर पर भी स्वीकार किया जा सकता है और ओ. टी. एस. प्रस्ताव के समान एक निपटान सीमा अधिनियम की धारा 18 के उद्देश्य के लिए ऋण की स्वीकृति होगी। एकमात्र चेतावनी 597

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे.] 598

यह था कि इस तरह की पावती विधि के अंतर्गत निर्धारित सीमा की समाप्ति से पहले होनी चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा 22 में संक्षेप में उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो वर्तमान मामले के तथ्यों के समान हैं जहां तुलनपत्र और एकमुश्त निपटान प्रस्ताव पेश किया गया था। वही यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“22. दूसरे शब्दों में, इस अपील में शामिल मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत एक याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा, केवल इस आधार पर कि इसे निगमित देनदार के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने की तारीख से 3 साल की अवधि से आगे ले जाया गया था, भले ही निगमित देनदार ने बाद में अपीलकर्ता बैंक के प्रति अपनी देनदारी को स्वीकार कर लिया हो, धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत याचिका के आवेदन की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर, एक बार के निपटान के लिए प्रस्ताव करके, या अपनी वैधानिक बैलेंस शीट और खातों की पुस्तकों में ऋण को स्वीकार करके।”

22. अंततः, रिपोर्ट के पैराग्राफ 142 में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपील के चरण में भी अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं। उक्त पैरा को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“142. धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत आवेदन में अभिवचनों के संशोधन के लिए या अतिरिक्त दस्तावेजों की भाषा के लिए विधि में कोई रोक नहीं है, इसके अलावा फॉर्म 1 में धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत आवेदन के साथ शुरू में दायर किया गया है। किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में जो या तो अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रतिबंधित करता है या उनके लिए समय-सीमा निर्धारित करता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलकर्ता बैंक को अतिरिक्त दस्तावेजों को दर्ज करने की अनुमति देने में कोई अवैधता या त्रुटि की है। हालाँकि, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जब अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अपने विवेक से, अतिरिक्त अभिवचनों और/या दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए एक आवेदक के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, और एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। हमारे सुविचारित विचार में, सहायक अभिवचनों के साथ अतिरिक्त दस्तावेजों पर विचार करने और ऐसे दस्तावेजों और अभिवचनों पर विचार करने के लिए

अपीलकर्ता बैंक के अनुरोध को स्वीकार करने और/या अनुमति देने के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय में अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। "

23. उपरोक्त चर्चा अपील में दस्तावेजों की स्वीकार्यता के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्कों का ध्यान रखती है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

योग्यता। देना बैंक (उपरोक्त) के मामले में फैसला बाद में आया है।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (ऊपर) के मामले में भरोसा किया गया।

24. ऋण स्वीकार करने वाली बैलेंस शीट भी सीमा की गणना के लिए प्रासंगिक दस्तावेज है। यह परिसंपत्ति के मामले में पहले ही आयोजित किया जा चुका है

पुनर्निर्माण कंपनी इंडिया लिमिटेड (ऊपर)। उपरोक्त सभी मामलों में, क्या

न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 'क्रानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या' पर विस्तार से चर्चा की गई है।

25. प्रतिवादी संख्या 2-भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चरण-दर-चरण किए गए सुधार के संबंध में अपीलार्थी की ओर से दिया गया तर्क भी कोई सहायक नहीं है क्योंकि यदि ओ. टी. एस. प्रस्ताव निगमित ऋणदाता द्वारा किए गए पाए जाते हैं और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले पांचवें वित्तीय वर्ष में बैलेंस शीट ने ऋण को वापस कर दिया है, तो वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 2-भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कार्यवाही शुरू करने में कोई देरी नहीं होगी क्योंकि यह सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रदान की गई सीमा की विस्तारित अवधि के भीतर होगी।

26. अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क ओ. टी. एस. प्रस्तावों की वास्तविकता के संबंध में था, जिसमें उन्हें अस्वीकार करने के कई कारण दिए गए थे। निगमित ऋणदाता या इस तरह की याचिका उठाने का अधिकार रखने वाले किसी अन्य पक्ष द्वारा उठाए जाने पर सभी कथित कारणों का न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही में परीक्षण किया जाएगा। वर्तमान में इस अपील में उक्त मुद्दे को दो कारणों से नहीं उठाया जा सकता है: सबसे पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. ने धारा 7 आई. बी. सी. याचिका के कारण हुई देरी के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के स्पष्टीकरण को संतोषजनक स्वीकार कर लिया है और इसे माफ कर दिया है। दूसरा, निगमित ऋणदाता द्वारा पहले और दूसरे ओ. टी. एस. प्रस्तावों पर निलंबित निदेशकों द्वारा सवाल नहीं उठाए जाने के कारण, अपीलार्थी के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर अविश्वास करने या कोई संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

27. अपीलार्थी की ओर से जिन मामले कानूनों पर भरोसा किया गया है, वे तीन बिंदुओं पर हैं जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इन पर संक्षेप में चर्चा की गई है: (क) पहला बिंदु जिस पर मामले के कानूनों का उल्लेख किया गया है, वह यह है कि धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत समयबद्ध आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह अपीलार्थी के लिए प्रासंगिक या कोई सहायता नहीं होगी क्योंकि यह पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का आवेदन सीमा अधिनियम की धारा 5 और 18 के लाभ का हकदार होगा और इसलिए यह समय के भीतर था।

599

एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ और ए. एन. आर. [विक्रम नाथ, जे.] 600

(ख) दूसरा बिंदु जिस पर मामले के कानूनों का उल्लेख किया गया है, वह यह था कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। ये मामले कानून भी किसी भी प्रासंगिकता के नहीं हैं क्योंकि यह ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।

(ग) तीसरा बिंदु जिस पर मामला विधि पर भरोसा किया जाता है, वह यह है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत लाभ के लिए, स्वीकृति विधि के अंतर्गत प्रदान की गई सीमा की समाप्ति के भीतर की जानी चाहिए। इस बिंदु पर तथ्यात्मक रूप से यह पाया गया है कि तुलनपत्र में ऋण की स्वीकृति की तारीख लेना और तीन ओ. टी. एस. प्रस्ताव विधि के अंतर्गत सीमा या स्वीकृति के कारण विस्तारित सीमा के भीतर थे। इस प्रकार जिन मामलों के कानूनों पर भरोसा किया गया था, उनकी वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

28. ऊपर दर्ज सभी कारणों से, हम अपील में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

रूबी मिल्स लिमिटेड द्वारा आवेदन:

29. 2022 के आई. ए. सं. 153162 का नेतृत्व रूबी मिल्स लिमिटेड ने किया है, जिसमें वर्तमान कार्यवाही में इस आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है कि उन्हें कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए दावों के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में 1,000 रुपये की शेष अग्रिम राशि का भुगतान करना था, जिसे आई. बी. सी. के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा रहा था।

30. भारतीय स्टेट बैंक में उपरोक्त राशि जमा करने के लिए उचित निर्देश जारी करने के लिए 2022 की आई. ए. संख्या 153166 का नेतृत्व किया गया था, जिसके लिए उसने एन. सी. एल. टी. के समक्ष 2022 की कंपनी याचिका संख्या 236 में 2022 की आई. ए. संख्या 1002 का नेतृत्व किया था।

31. 2023 के आई. ए. No.19253 को रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लेने के लिए प्रेरित किया गया था।

32. 2023 के आई. ए. Nos.97314 और 2023 के 121868 को फिर से 2022 के आई. ए. सं. 153162 के समान प्रकृति के निर्देशों के लिए निर्देशित किया गया ताकि आवेदक को इस न्यायालय के पंजीयक के पास जमा राशियों को जमा करने की अनुमति दी जा सके। 79 करोड़।

33. श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील, उपरोक्त आवेदनों पर उचित निर्देश जारी करने के लिए लगातार अनुरोध कर रहे थे

/

[2023] 14 एस सी आर।

लेकिन अपीलार्थी और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था।

34. अब जब हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि आई. बी. सी. की कार्यवाही जारी रहेगी क्योंकि हम वर्तमान अपील को खारिज कर रहे हैं, तो हम इसे आवेदक-रूबी मिल्स लिमिटेड के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या किसी अन्य मंच के समक्ष अपने उपचार को आगे बढ़ाने के लिए खुला छोड़ देते हैं।

35. उपरोक्त आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

36. किसी भी अन्य लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे